



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 210]
No. 210]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 14, 2004/भाद्र 23, 1926

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 14, 2004/BHADRA 23, 1926

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
(औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 सितम्बर, 2004

फा. सं. 1(13)/2003-एस.पी.एस.(i).—केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग की अधिसूचना सं. 1(11) 2002-एन ई आर के तहत 22-10-2002 को अधिसूचित जम्मू और कश्मीर से संबंधित केन्द्रीय पूंजी निवेश राजसहायता योजना, 2002 में, एतद्वारा, निम्नलिखित संशोधन करती है :—

- (i) "परिभाषाएं" नामक पैरा 5 के उप पैरा (क) में, निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा :—
औद्योगिक इकाइयां उक्त योजना के अनुबंध में महत्वपूर्ण उद्योगों की सूची के क्रमांक-13 में उल्लिखित सभी पारिस्थितिक पर्यटन इकाइयों को भी शामिल करेंगी।
- (ii) "संयंत्र एवं मशीनरी" नामक पैरा 7 में, निम्नलिखित को उसके नीचे नया पैरा (ग) के रूप में जोड़ा जाएगा :—
(7)(ग) : उक्त योजना के अनुबंध में महत्वपूर्ण उद्योगों की सूची में उल्लिखित पारिस्थितिक पर्यटन इकाइयों के लिए संयंत्र एवं मशीनरी के मूल्य की गणना में परिशिष्ट में सूचीबद्ध मदों की लागत को भी गिना जाएगा।

एस. जगदीशन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Industrial Policy and Promotion)

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th September, 2004

F. No. 1(13)/2003-SPS(i).—The Central Government hereby makes the following amendments under the Central Capital Investment Subsidy Scheme, 2002 relating to Jammu and Kashmir notified on 22-10-2002 vide Government of India Ministry of Commerce and Industries, Department of Policy and Promotion Notification No. 1(11)/2002-NER.

- (i) In sub-para (a) of para 5 titled "Definitions", the following shall be added :
The industrial units will also cover all the eco-tourism units mentioned at Sl. No. 13 of the list of Thrust Industries at Annexure to the said Scheme.
- (ii) In para 7 titled "Plant and Machinery", the following shall be added as new para (c) thereunder :—
(7) (c) : In calculating the value of plant and machinery for eco-tourism units mentioned in the list of Thrust Industries at Annexure of the Scheme, the cost of items contained in the list at Appendix will be taken into account.

S. JAGADEESAN, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 सितम्बर, 2004

फा. सं. 1(13)/2003-एस.पी.एस.(i).—केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग की अधिसूचना सं. 1(11) 2002-एन ई आर के तहत 22-10-2002 को अधिसूचित जम्मू और कश्मीर से संबंधित केन्द्रीय व्यापक राजसहायता योजना, 2002 में, एतद्वारा, निम्नलिखित संशोधन करती है :—

- (i) "परिभाषाएं" नामक पैरा 5 के उप पैरा (क) में, निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा :—
औद्योगिक इकाइयां उक्त योजना के अनुबंध में महत्वपूर्ण उद्योगों की सूची के क्रमांक-13 में उल्लिखित सभी पारिस्थितिक पर्यटन इकाइयों को भी शामिल करेंगी।
- (ii) "संयंत्र एवं मशीनरी" नामक पैरा 5 के उप पैरा (च) III (i) में निम्नलिखित को उसके नीचे नया पैरा के रूप में जोड़ा जाएगा :—
उक्त योजना के अनुबंध में महत्वपूर्ण उद्योगों की सूची में उल्लिखित पारिस्थितिक पर्यटन इकाइयों के लिए संयंत्र एवं मशीनरी के मूल्य की गणना में परिशिष्ट में सूचीबद्ध मदों को लागत को भी गिना जाएगा।

एस. जगदीशन, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th September, 2004

F. No. 1(13)/2003-SPS(i).—The Central Government hereby makes the following amendments under the Central Interest Subsidy Scheme, 2002 relating to Jammu and Kashmir notified on 22-10-2002 vide Government of India Ministry of Commerce and Industries, Department of Policy and Promotion Notification No. 1(11)/2002-NER.

- (i) In sub-para (a) of para 5 titled "Definitions", the following shall be added :
The industrial units will also cover all the eco-tourism units mentioned at Sl. No. 13 of the list of Thrust Industries at Annexure to the said Scheme.
- (ii) In sub-para (f) (III) (i) of para 5 titled "Plant and Machinery", the following shall be added as new para thereunder :—
In calculating the value of plant and machinery for eco-tourism units mentioned in the list of Thrust Industries at Annexure of the Scheme, the cost of items contained in the list at Appendix will be taken into account.

S. JAGADEESAN, Jr. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 सितम्बर, 2004

फा. सं. 1(13)/2003-एस.पी.एस.(i).—केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग की अधिसूचना सं. 1(11) 2002-एन ई आर के तहत 22-10-2002 को अधिसूचित जम्मू और कश्मीर से संबंधित केन्द्रीय व्यापक बीमा योजना, 2002 में, एतद्वारा, निम्नलिखित संशोधन करती है :—

- (i) "औद्योगिक इकाई की परिभाषाएं" नामक पैरा 4 में, निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा :—
औद्योगिक इकाइयां उक्त योजना के अनुबंध में महत्वपूर्ण उद्योगों की सूची के क्रमांक-13 में उल्लिखित सभी पारिस्थितिक पर्यटन इकाइयों को भी शामिल करेंगी।

एस. जगदीशन, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th September, 2004

F. No. 1(13)/2003-SPS(i).—The Central Government hereby makes the following amendments under the Central Comprehensive Insurance Scheme, 2002 relating to Jammu and Kashmir notified on 22-10-2002 vide Government of India Ministry of Commerce and Industries, Department of Policy and Promotion Notification No. 1(11)/2002-NER.

- (i) In para 4 titled "Definitions of Industrial Unit" the following shall be added :—
The industrial units will also cover all the eco-tourism units mentioned at Sl. No. 13 of the list of Thrust Industries at Annexure to the said Scheme.

S. JAGADEESAN, Jr. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 सितम्बर, 2004

फा. सं. 1(13)/2003-एस.पी.एस. (ii) — केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग की अधिसूचना सं. 14(2)/2002-एस पी एस के तहत 24-12-2002 को अधिसूचित सिक्किम से संबंधित केन्द्रीय पूंजी निवेश राजसहायता योजना, 2002 में, एतद्वारा, निम्नलिखित संशोधन करती है :—

- (i) "परिभाषाएं" नामक पैरा 5 के उप पैरा (क) में, निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा :—
औद्योगिक इकाइयां उक्त योजना के अनुबंध में महत्वपूर्ण उद्योगों की सूची के क्रमांक-1 में उल्लिखित सभी पारिस्थितिक पर्यटन इकाइयों को भी शामिल करेंगी।
- (ii) "परिभाषाएं" नामक पैरा 5 के उप पैरा (घ) में, निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा :—
उक्त योजना के अनुबंध में महत्वपूर्ण उद्योगों की सूची में उल्लिखित, पारिस्थितिक पर्यटन इकाइयों के लिए संयंत्र एवं मशीनरी के मूल्य की गणना में परिशिष्ट में सूचीबद्ध मदों को लागत को भी गिना जाएगा।
- (iii) "परिभाषाएं" नामक पैरा 5 के उप पैरा (घ) में, निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा :—
पारिस्थितिक पर्यटन इकाइयों के लिए, भवन निर्माण में कोई निवेश, बशर्ते कि निवेश राशि मूल निवेश राशि की कम से कम 25 प्रतिशत हो।

एस. जगदीशान, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th September, 2004

F. No. 1(13)/2003-SPS (ii).—The Central Government hereby makes the following amendments under the Central Capital Investment Subsidy Scheme, 2002 relating to Sikkim notified on 24-12-2002 vide Government of India, Ministry of Commerce and Industries, Department of Policy and Promotion Notification No. 14(2)/2002-SPS.

- (i) In sub-para (a) of para 5 titled "Definitions", the following shall be added :—
The industrial units will also cover all the eco-tourism units mentioned at Sl. No. 1 of the list of Thrust Industries at Annexure to the said Scheme.
- (ii) In sub-para (d) of para 5 titled "Definitions", the following shall be added thereunder :—
In calculating the value of plant and machinery for eco-tourism units mentioned in the list of Thrust Industries at Annexure of the Scheme, the cost of items contained in the list at Appendix will be taken into account.
- (iii) In sub-para (d) of para 5 titled "Definitions", the following shall be added :—
"For eco-tourism units, any investment in "building", provided the investment is at least 25% of the original investment".

S. JAGADEESAN, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 सितम्बर, 2004

फा. सं. 1(13)/2003-एस.पी.एस. (ii) — केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग की अधिसूचना सं. 14(2)/2002-एस पी एस के तहत 24-12-2002 को अधिसूचित सिक्किम से संबंधित केन्द्रीय पूंजी निवेश राजसहायता योजना, 2002 में, एतद्वारा, निम्नलिखित संशोधन करती है :—

- (i) "परिभाषाएं" नामक पैरा 5 के उप पैरा (क) में, निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा :—
औद्योगिक इकाइयां उक्त योजना के अनुबंध में महत्वपूर्ण उद्योगों की सूची के क्रमांक-1 में उल्लिखित सभी पारिस्थितिक पर्यटन इकाइयों को भी शामिल करेंगी।
- (ii) "परिभाषाएं" नामक पैरा 5 के उप पैरा (घ) में, निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा :—
पारिस्थितिक पर्यटन इकाइयों के लिए, भवन निर्माण में कोई निवेश, बशर्ते कि निवेश राशि मूल निवेश राशि की कम से कम 25 प्रतिशत हो।
- (iii) "संयंत्र एवं मशीनरी" नामक पैरा 5 के उप पैरा (घ) III (i) में उसके नीचे नया पैरा (ग) के रूप में निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा :—
उक्त योजना के अनुबंध में महत्वपूर्ण उद्योगों की सूची में उल्लिखित पारिस्थितिक पर्यटन इकाइयों के लिए संयंत्र एवं मशीनरी के मूल्य की गणना में परिशिष्ट में सूचीबद्ध मदों को लागत को भी गिना जाएगा।

एस. जगदीशान, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th September, 2004

E. No. 1(13)/2003-SPS(ii).—The Central Government hereby makes the following amendments under the Central Interest Subsidy Scheme, 2002 relating to Sikkim notified on 24-12-2002 vide Government of India Ministry of Commerce and Industry, Department of Policy and Promotion Notification No. 14(2)/2002-SPS.

- (i) In sub-para (a) of para 5 titled "Definitions", the following shall be added :

The industrial units will also cover all the eco-tourism units mentioned at Sl. No. 1 of the list of Thrust Industries at Annexure to the said Scheme.

- (ii) In sub-para (d) of para 5 titled "Definitions", the following shall be added :—

For eco-tourism units, any investment in "building", provided the investment is at least 25% of the original investment.

- (iii) In sub-para (f) III (i) of para 5 titled "Plant and Machinery", the following shall be added as new para (c) thereunder :—

In calculating the value of plant and machinery for eco-tourism units mentioned in the list of Thrust Industries at Annexure of the Scheme, the cost of items contained in the list at Appendix will be taken into account.

S. JAGADEESAN, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 सितम्बर, 2004

फा. सं. 1(13)/2003-एस.पी.एम.(ii)—केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग की अधिसूचना सं. 14(2) 2002-एस पी एस के तहत 24-12-2002 को अधिसूचित सिक्किम से संबंधित केन्द्रीय व्यापक बीमा योजना, 2002 में, एतद्वारा, निम्नलिखित संशोधन करती है :—

- (i) "परिभाषा" नामक पैरा 4 में, निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा :—

औद्योगिक इकाइयां उक्त योजना के अनुबंध में महत्वपूर्ण उद्योगों की सूची के क्रमांक-1 में उल्लिखित सभी पारिस्थितिक पर्यटन इकाइयों को भी शामिल करेंगी।

- (ii) "परिभाषा" नामक पैरा 6 में, निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा :—

पारिस्थितिक पर्यटन इकाइयों के लिए, पर्याय विस्तार का अर्थ भवन निर्माण में कोई निवेश होगा, यशर्त कि निवेश राशि मूल निवेश राशि को कम से कम 25 प्रतिशत हो।

एस. जागदीशान, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th September, 2004

F. No. 1(13)/2003-SPS(ii).—The Central Government hereby makes the following amendments under the Central Comprehensive Insurance Scheme, 2002 relating to Sikkim notified on 24-12-2002 vide Government of India Ministry of Commerce and Industry, Department of Policy and Promotion Notification No. 14(2)/2002-SPS.

- (i) In para 4 titled "Definitions", the following shall be added :

The industrial units will also cover all the eco-tourism units mentioned at Sl. No. 1 of the list of Thrust Industries at Annexure to the said Scheme.

- (ii) In para 6 titled "Definitions", the following shall be added :—

For eco-tourism units, substantial expansion would mean any investment in "building", provided the investment is at least 25% of the original investment.

S. JAGADEESAN, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 सितम्बर, 2004

प्र.सं. 1(13)/2003-एस.पी.एस.(iii).—केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग की अधिसूचना सं. 1(10) 2001-एन ई आर के तहत 8-1-2003 को अधिसूचित हिमाचल प्रदेश और उत्तरांचल से संबंधित केन्द्रीय पूंजी निवेश राजसहायता योजना, 2003 में, एतद्वारा, निम्नलिखित संशोधन करती है :—

- (i) "परिभाषाएं" नामक पैरा 5 के उप-पैरा (क) में, निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा :—
औद्योगिक इकाइयों उक्त योजना के अंतर्बंध में महत्वपूर्ण उद्योगों की सूची के क्रमांक 15 में उल्लिखित सभी पारिस्थितिक पर्यटन इकाइयों को भी शामिल करेंगी।
- (ii) "परिभाषाएं" नामक पैरा 5 के उप-पैरा (घ) में, निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा :—
पारिस्थितिक पर्यटन इकाइयों के लिए, भवन निर्माण में कोई निवेश, बशर्ते कि निवेश राशि मूल निवेश राशि की कम से कम 25 प्रतिशत हो।
- (iii) "संवंत्र एवं मशीनरी" नामक पैरा 7 में, उसके निचे नया पैरा (ग) के रूप में निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा :—
(7) (ग) : उक्त योजना के अंतर्बंध में महत्वपूर्ण उद्योगों की सूची में उल्लिखित पारिस्थितिक पर्यटन इकाइयों के लिए, संवंत्र एवं मशीनरी के मूल्य की गणना में परिशिष्ट में सूचीबद्ध मदों को लागत भी शामिल की जाएगी।

एस. जगदीशान, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th September, 2004

E. No. 1(13)/2003-SPS(iii).—The Central Government hereby makes the following amendments under the Central Capital Investment Subsidy Scheme, 2003 relating to Himachal Pradesh and Uttaranchal notified on 8-1-2003 vide Government of India, Ministry of Commerce and Industry, Department of Policy and Promotion Notification No. 1(10)/2001-NER.

- (i) In sub-para (a) of para 5 titled "Definitions", the following shall be added :—
The industrial units will also cover all the eco-tourism units mentioned at Sl. No. 15 of the list of Thrust Industries at Annexure to the said Scheme.
- (ii) In sub-para (d) of para 5 titled "Definitions", the following shall be added :—
"For eco-tourism units, any investment in "building", provided the investment is at least 25% of the original investment."
- (iii) In para 7 titled "Plant and Machinery", the following shall be added as new para (c) thereunder :—
(7) (c) : In calculating the value of plant and machinery for eco-tourism units mentioned in the list of Thrust Industries at Annexure of the Scheme, the cost of items contained in the list at Appendix will be taken into account.

S. JAGADEESAN, Jt. Secy.